भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 59

(दिनांक 21.07.2022 को उत्तर के लिए)

अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट

***59. श्री के. आर. सुरेश रेड्डी :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कोविड-19 महामारी के कारण, केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग जैसी अन्य सरकारी निकायों और बैंकों में भी भर्तियां नहीं की गई हैं;

(ख) क्या इस कारणवश कई प्रतियोगियों ने केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के अन्य संगठनों द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने हेतु या तो अधिकतम आयु सीमा पार कर ली है या फिर परीक्षा विशेष में बैठने के उनके 'प्रयासों की संख्या सीमा' समाप्त हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रतियोगिओं को आयु सीमा में छूट प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

https://www.staffnews.in

"अभ्यर्थियों के लिए आयु में छूट" के संबंध में श्री के. आर. सुरेश रेड्डी द्वारा दिनांक 21-07-2022 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं 59 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): केंद्र सरकार में भर्ती एक सतत् प्रक्रिया है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) सभी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का विधिवत अनुपालन करते हुए अपनी परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान यूपीएससी, एसएससी और आईबीपीएस द्वारा निम्नलिखित भर्तियां की गई हैं:

वर्ष	यूपीएससी	एसएससी	आईबीपीएस	कुल
2020-21	4,214	68,891	23,496	**96,601**
2021-22	4,699	29,023	29,292	**63,014**
कुल योग (2020-22)	8,913	97,914	52,788	**1,59,615**

(ख) एवं (ग): कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई) के लिए उम्मीदवारों को आयु में छूट या अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के विषय में, यह मामला सीएसई उम्मीदवारों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के माध्यम से भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष भी लाया गया था। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर मामले पर विचार किया गया था और सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रयासों की संख्या और आयु-सीमा के संबंध में मौजूदा प्रावधानों को परिवर्तित करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है। जहां तक वर्ष 2022 में विज्ञापित की जा रही परीक्षाओं के संबंध में एसएससी द्वारा परीक्षा आयोजित किए जाने का संबंध है, एसएससी ने आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि को 01.01.2022 तय करने का निर्णय किया है। सामान्यतः इन परीक्षाओं हेतु आयु निर्धारित करने की निर्णायक तिथि, टियर-II परीक्षा के आयोजन की तिथियों के आधार पर, 01.08.2022 अथवा 01.01.2023 होती। जहां तक बैंकिग क्षेत्र का संबंध है, चूंकि प्रत्येक वर्ष परीक्षाएं आयोजित की गई थीं अतः आयु में छूट का मामला लागू नहीं होता है।

****

https://www.staffnews.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 59
(TO BE ANSWERED ON 21.07.2022)

AGE RELAXATION FOR ASPIRANTS

59 SHRI K.R. SURESH REDDY:

Will the **PRIME MINISTER** be pleased to state:

(a) whether due to COVID-19 pandemic, recruitments were not done in Central Government offices and other Government bodies like UPSC, SSC and Banking Sector also;
(b) whether because of this, aspirants either got age barred or attempt barred from appearing in the competitive exams conducted by the Central Government and Other Central Government organizations; and
(c) if so, the details of steps taken/proposed to be taken by Government to give age relaxation to those aspirants?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE (DR. JITENDRA SINGH)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

https://www.staffnews.in

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 59 FOR ANSWER ON 21.07.2022 BY SHRI K.R. SURESH REDDY REGARDING AGE RELAXATION FOR ASPIRANTS

(a): Recruitment in Central Government is a continuous process. The Union Public Service Commission (UPSC), Staff Selection Commission (SSC) and Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) have been conducting their examinations duly complying with all COVID-19 safety protocols. Following recruitments have been made by UPSC, SSC and IBPS during COVID-19 pandemic period:

YEAR	UPSC	SSC	IBPS	Total
2020-21	4,214	68,891	23,496	**96,601**
2021-22	4,699	29,023	29,292	**63,014**
GRAND TOTAL (2020-22)	8,913	97,914	52,788	**1,59,615**

(b) & (c): On the issue of granting age relaxation and extra attempt to candidates for Civil Services Examination (CSE), due to COVID-19 pandemic, the matter was also brought before Hon'ble Supreme Court of India vide Writ Petitions by CSE aspirants. Based on the judgments passed by Hon'ble Supreme Court of India, the matter was considered and it has not been found feasible to change the existing provisions regarding number of attempts and age-limit in respect of the Civil Services Examination. As regards examinations to be conducted by SSC for the examinations being advertised in the year 2022, the SSC has decided to fix crucial date for determining age as on 01.01.2022. In the normal course, the crucial date for determining age for these examinations would have been 01.08.2022 or 01.01.2023, depending on the schedule of conduct of Tier-II Examination. As regards the Banking Sector, since each year exams were conducted, the issue of age relaxation is not applicable.

*****

https://www.staffnews.in